न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर

उनवान संख्या
30 / 2023

तारीख दायरा
22.03.2025

पीठासीन अधिकारी – दमयन्ती कंवर (R.A.S.)

उनवान

1.मेयनूदीन खां उम्र वर्ष पुत्र स्व. फैजु खां जाति कायमखानी निवासी ग्राम बेसवा तहसील फतेहपुर जिला सीकर (राज०)

वादी

विपरीत

1. रसीद अली पुत्र स्वं मोहम्मद हुसेन जाति कायमखानी निवासी ग्राम बेसवा तहसील फतेहपुर जिला सीकर (राज०)
2. इस्लामुदीन खां
3. असलम खां
4. अब्बास खो
5. इलियास खां

पुत्रगणं स्व. यायिनखां जातिगण कायमखानी निवासी ग्राम बेसवा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.

6. बतूल पत्नी मेनुदीन खां जाति कायमखानी निवासी बेसवा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान।
7. बडौदा रातस्थान क्षेत्रीय ग्रमिण बैंक जरिये शाखा प्रबंधक शाखा बेसवा तहसील फतेहपुर जिला सीकर ।
8. तहसीलदार फतेहपुर जरिये भूमि धारक राजस्थान
9. हल्का पटवारी ग्राम बेसवा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.

वाद बाबत उदघोषणा

उपस्थित अधिवक्ता वादी – श्री रमेश पूनियां

उपस्थित अधिवक्ता प्रतिवादीगण– श्री संदीप कस्वां

दिनांक: 29.01.2025

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है कि तहसील फतेहपुर के ग्राम बेसवा के तन में भूमि खसरा नम्बर 225 रकबा 4.65 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 4.65 हैक्टर अवस्थित है जिस पर वादीय व प्रतिवादी संख्या 6 काबिज काश्तकार है।

भूमि खसरा नम्बर 225 [illegible] कुल रकबा 4.65 हैक्टर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पूर्वज की विरासतन [illegible] वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 व सजरा खानदान मे दर्शीत स्व फेजू [illegible] रिकॉर्ड मे दर्ज थी परन्तु उक्म भूमि पारिवारीक बटवारे मे वादी के हिस्से [illegible] आयी थी वादी के द्वारा पूर्व मे स्व मुकारब खां के वारिसान से अपनी पत्नी बतूल बानो के पक्ष मे विकय पत्र पंजीकृत क[illegible] राजस्व रिकॉर्ड मे अपनी पत्नी का नाम दर्ज करवा लिया आज भी वादी खसरा न: 225 [illegible] 65 है० पर कृर्षि व घरेलु विधुत कनेक्शन लेकर कब्जा काश्त करता चला आ रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.02.13 17:03:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

उक्त भूमि खसरा नम्बर 225 रकबा 4.65 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 4.65 हैक्टर पर स्वः फेजू खां के वारिसान का 1/3.1/3 हिस्से पर कब्जा नही होकर सम्पूर्ण भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 6 का ही कब्जा काश्त है भूमि खसरा नः 225 गाम बेसवा में बेसवा से दिनवा जाने वाले रास्ते पर बिड से पश्चिम दिशा मे बिड से सटती हुई भूमि है इसलिए उक्त खेत को बीड वाले खेत के नाम से भी जाना जाता है।

स्व फैजू खां के 3 पुत्र स्वः यासिन खा स्वः मुकारब खां व वादी मेयनुदीन है स्वः फैजू खां की सम्पूर्ण भूमि 1/3,1/3 थी परन्तु स्वः यासिन खां व स्वः मुकारब खां ने अपने हिस्से कि भूमि को विकय कर के अन्य भूमिया खरीद ली जो आज उनके कब्जा काश्त मे चली आ रही है।

भूमि खसरा नम्बर 225 रकबा 4.65 हैक्टर कुल किता । कुल रकबा 4.65 हैक्टर हिस्सा पर वादी व प्रतिवादी संख्या 6 का कब्जा काश्त है परन्तु राजस्व रिकार्ड मे 1/12,1/12 हिस्सा प्रतिवाद संख्या 2 ता 5 व 1/36 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का भूमि खंसरा नः 225 रकबा 4.65 है० के किसी हिस्से पर कब्जा काश्त नहीं है दिनांक 02.08.2004 को स्व. मुकारब खां व यासिन खां के वारिसान के द्वारा एक इकरारनाम लिखकर दिया गया है कि उक्त भूमियों में हमारा कोई हिस्सा नहीं है उक्त भूमि वादी मैयनुदीन खां के ही कब्जा काश्त कि भूमि है इसलिए वादी को भूमि खसरा नः 225 रकबर 4. 65 है 0 मे से प्रतिवादी संख्या 1 का 1/36 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का 1/12,1/12 हिस्से का खाता अपने नाम उद्घोषित करवाने का अधिकारी है।

उक्त भूमियों में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का कोई कब्जा काश्त व सम्बंध सरोकार नही है प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को वादी के द्वारा कई बार उक्त भूमियो का खाता अपने नाम करवाने के लिये कहा लेकिन हर बार वो टाल मटोल करते रहे दिनांक 25.02.2023 को वादी के द्वारा फिर से प्रतिवादीगण को कहा गया तो प्रतिवादीगण ने उक्त भूमियों का खाता हमारे नाम करवाने से मना कर दिया जिस कारण दावा करना आवश्यक हुआ है।

प्रतिवादीगण संख्या 7 व 9 राज्य सरकार के प्रतिनिधि होने के कारण पक्षकार बनाये गये है जिनको 02 माह पहले कानूनी नोटिस किया जाना आवश्यक है परन्तु प्रकरण आवश्यक प्रकृति का होने के कारण बिना नोटिस दिये ही दावा प्रस्तुत किया जा रहा है जिसके लिए 80 (2) सी पी सी का आवेदन अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है।

वादग्रस्त भूमि मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे होकर ग्राम बेसवा मे स्थित होने से वाद का श्रवणाधिकार मान्य न्यायालय को हासिल है। वाद पत्र 2 रूप्ये न्यायलय शुल्क पर सादर प्रस्तुत है।

वादी निम्न अनुतोष की प्रार्थना करता है :—

(क) कि वाद वादीगण बहक वादीगण डिकी किया जाकर भूमि खसरा नम्बर 225 रकबा 4. 65 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 4.65 हैक्टर हिस्सा पर वादी व प्रतिवादी संख्या 6 का कब्जा काश्त है परन्तु राजस्व रिकार्ड मे 1/12,1/12 हिस्सा प्रतिवाद संख्या 2 ता 5 व 1/36 हिस्सा प्रतिवादी [illegible] के नाम दर्ज है परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का भूमि खंसरा नः 225 रकबा 4.65 है0 के कि[illegible] [illegible] कब्जा काश्त नही है दिनांक 2.8.2004 को एक इकरारनाम किया था [illegible] मुकारब [illegible] व. यासिन खां के वारिसान ने इकरार किया है कि उक्त भूमि पर हमारा [illegible] उक्त भूमि वादी मैयनुदीन खां के हि कब्जा काश्त कि भूमि है इसलिए खसरा नः 225 रकबर 4.65 है0 मे से प्रतिवादी संख्या 1 का 1/36 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का 1/12,1/12 हिस्से के खाता को वादी के नाम उद्घोषित किया जावे।

(ख) अन्य न्यायोचित सहायता जो वादी प्राप्त करने के अधिकारी हो उन्हे दिलाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.02.13 17:03:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

मूर्तिब की जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जारी की गयी। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की ओर से श्री संदीप कस्वां एड0 ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 बावजूद सूचना हाजिर नहीं होने पर इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की ओर से श्री संदीप कस्वां एड0 ने जवाब दावा पेश नहीं करने बाबत नोट किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की जवाबदेही बंद की गयी। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की ओर से जवाब दावा पेश नहीं करने पर प्रकरण में तनकी कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं होने पर तनकी कायम नहीं की गयी। सशपथ बयान गवाह मेयनूदीन (पीडब्ल्यू 1) के पेश हुए। गवाह मेयनूदीन द्वारा प्रस्तुत बयान का सक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है कि तहसील फतेहपुर के ग्राम बेसवा के तन मे भूमि खसरा नम्बर 225 रकबा 4.65 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 4.65 हैक्टर अवस्थित है जिस पर मैं वादी व प्रतिवादी संख्या 6 काबिज काश्तकार है।

भूमि खसरा नम्बर 225 रकबा 4.65 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 4.65 हैक्टर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पूर्वज की विरासतन भूमि है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का सजरा खानदान में दर्शीत स्व फेजू खां के वारिसान कि 1/3 1/3 भूमि राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज थी परन्तु उक्म भूमि पारिवारीक बटवारे मे मुझ वादी के हिस्से में आयी थी मेरे द्वारा पूर्व मे स्व मुकारब खां के वारिसान से अपनी पत्नी बतूल बानो के पक्ष में विकय पत्र पंजीकृत करवा कर राजस्व रिकॉर्ड मे अपनी पत्नी का नाम दर्ज करवा लिया वर्तमान में मैंने भूमि खंसरा नः 225 रकबा 4.65 है० पर कृर्षि व घरेलु विधुत कनेक्शन लेकर कब्जा काश्त करता चला आ रहा है।

उक्त भूमि खसरा नम्बर 225 रकबा 4.65 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 4.65 हैक्टर पर स्वः फेजू खां के वारिसान का 1/3,1/3 हिस्से पर कब्जा नही होकर सम्पूर्ण भूमि पर मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 6 का ही कब्जा काश्त है भूमि खंसरा नः 225 ग्गाम बेसवा मे बेसवा से दिनवा जाने वाले रास्ते पर बिड से पश्चिम दिशा मे बिड से सटती हुई भूमि है इसलिए उक्त खेत को बीड वाले खेत के नाम से भी जाना जाता है।

स्व फैजू खां के 3 पुत्र स्वः यासिन खा स्वः मुकारब खां व मैं वादी मेयनुदीन हुँ। स्वः फैजू खां के वारिसों की सम्पूर्ण भूमि 1/3,1/3 थी परन्तु स्वः यासिन खां व स्वः मुकारब खां ने अपने हिस्से कि भूमि को विक्रय कर के अन्य भूमियां खरीद ली जो आज उनके कब्जा काश्त मे चली आ रही है।

भूमि खसरा नम्बर 225 रकबा 4.65 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 4.65 हैक्टर हिस्सा पर मैं वादी व प्रतिवादी संख्या 6 का कब्जा काश्त है परन्तु राजस्व रिकार्ड मे 1/12.1/12 हिस्सा प्रतिवाद संख्या 2 ता 5 व 1/36 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का भूमि खंसरा नः 225 रकबा 4.65 है० के किसी हिस्से पर कब्जा काश्त नहीं है दिनांक 02.08.2004 को स्व. मुकारब खां व यासिन खां के वारिसान के द्वारा एक इकरारनाम लिखकर दिया गया है कि उक्त भूमियों में हमारा कोई हिस्सा नहीं है उक्त भूमि मुझ वादी मैयनुदीन खां के ही कब्जा काश्त कि भूमि है इसलिए मुझ वादी को भूमि खसरा नः 225 रकबा 4.65 हैक्टेयर मे से प्रति[illegible] 1/36 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का 1/12.1/12 हिस्से का खाता अपने नाम उदघ[illegible]ने का अधिकारी हुँ। उक्त खाता मेरे नाम उदघोषित करने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.02.13 17:03:58 IST
Reason: SelfAttested

गवाह मेयनूदीन ने मुख्य [illegible] जिरह प्रतिवादी शून्य है। वकील वादी ने ओर साक्ष्य पेश नहीं करने बाबत निवेदन किये ज[illegible] पर साक्ष्यवादी बंद की गयी। वकील प्रतिवादी ने साक्ष्य प्रतिवादी हेतु इन्कार किया। अतः साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गयी।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

बाद साक्ष्य विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान् की बहस सुनी। बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन, मनन अवलोकन किया गया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्तागण ने वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अनुसार दावा डिक्री हेतु निवेदन किया।

विवादित आराजी पैतृक सिद्ध हो जाने से वादीगण द्वारा पेश किया गया वाद स्वीकार करने योग्य है।

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि भूमि खसरा नम्बर खसरा नः 225 रकबर 4.65 है0 मे से प्रतिवादी संख्या 1 का 1/36 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का 1/12 तथा 1/12 हिस्से का खाता को वादी के नाम उद्घोषित किया जाता है।

तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(दमयन्ती कंवर)
उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.02.13 17:03:58 IST
Reason: SelfAttested